रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR
भारत सरकार : रेल मंत्रालय
Govt.of India (Ministry of Railways)
Phone:07752-417742, Fax: 07752-417742

सत्यमेव जयते

क्रमाँक: रेभबो/बिलासपुर/01-2018/चिकि.अपील दिनाँक: 01.08.2019

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या - 01/2018 के अंतर्गत सहायक लोको चालक एवं तकनीशियन के पदों हेतु दिनाँक 25.06.2019 से दिनाँक 05.08.2019 तक आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारी के सत्यापन के उपराँत आयोजित मेडिकल परीक्षा में A-1 मेडिकल श्रेणी में अनफिट निर्धारित किए गए उम्मीदवारों को अपील के संबंध में अवसर प्रदान करने की सूचना

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या - 01/2018 के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा दिनाँक 25.06.2019 से दिनाँक 30.08.2019 तक सहायक लोको चालक एवं तकनीशियन के पदों हेतु उम्मीदवारी एवं दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है एवं दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन उम्मीदवारों हेतु संबंधित रेलवे चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है।

दिनाँक 25.06.2019 से दिनाँक 05.08.2019 तक सहायक लोको चालक के पद हेतु उम्मीदवारों के लिए आयोजित किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल श्रेणी A-1 में चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित रेलवे अस्पतालों में भेजे गए ऐसे समस्त उम्मीदवार, जिन्हें तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति के द्वारा चिकित्सा परीक्षण में मेडिकल श्रेणी A-1 में अनुपयुक्त (UNFIT) पाया गया है, उन्हें अपील करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें ऐसे उम्मीदवार भी अपील कर सकते हैं जिन्हें A1/B1 मेडिकल श्रेणी में परीक्षण के लिए भेजा गया था परंतु उन्हें A1 श्रेणी में अनुपयुक्त (UNFIT) एवं B1 श्रेणी में उपयुक्त (FIT) पाया गया है।

रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर कार्यालय में ऐसे समस्त उम्मीदवारों को शासकीय/निजी विशेषज्ञ चिकित्सक से जारी किया गया प्रमाणपत्र इस सूचना के प्रकाशन के 07 दिन के अंदर अथवा चिकित्सा परीक्षण के उपराँत 07 दिन की अवधि में, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करना होगा जिसमें जारीकर्ता चिकित्सक के द्वारा निम्नलिखित उल्लेख किया गया हो:-

"I am fully aware of the physical & visual standards set by the Railways for the particular medical category and that I am aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examination conducted by an appropriate Medical Board comprising of three senior Railway doctors appointed by the Government in this regard."

उपर्युक्तानुसार जारी प्रमाणपत्र में उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं पहचान का चिह्न प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित शासकीय/निजी चिकित्सक के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा उनके भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य का पंजीयन क्रमाँक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना है।

अपील संबंधी ऐसे समस्त मामलों में चिकित्सा परीक्षण की फीस संबंधित उम्मीदवारों के द्वारा वहन किया जाना है जिसके लिए निर्धारित राशि रूपये 1000/- है जो डिमाँड ड्राफ्ट के रूप में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को देय हो।

उपर्युक्तानुसार प्राप्त अपील संबंधी समस्त मामलों में यदि मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय हो कि अपील के मामले की पुन: जाँच होनी चाहिए तो वह उम्मीदवारों की पुन: जाँच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से उम्मीदवारों की चिकित्सा जाँच का प्रावधान करेंगे।

यदि इस स्तर पर निर्णय अयोग्य से योग्य में बदल जाता है तो रेलवे को जमा किया गया डिमाँड ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा अन्यथा रेलवे राजस्व को उसी शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसमें चिकित्सा जाँच शुल्क जमा किया जा रहा है।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड/बिलासपुर